

# छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कम्पनी मर्यादित

(छत्तीसगढ़ शासन का एक उपक्रम)

रायपुर, दिनांक 21-04-17

क्र. 03-11/सू.अधि./26-17/1718

प्रति,

हेमेन्द्र कुमार शर्मा,  
कार्या.—सहायक प्रबंधक (के.ले.ई.)  
छ.रा.वि.उ.कं.मर्या., रायपुर।

विषय:—सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जानकारी विषयक।

संदर्भ:—आपका पत्र क्र. निरंक, दिनांक 22.03.2017 एवं इस कार्यालय का पंजीयन क्र. 26-17, दिनांक 23.03.2017।

--:000:--

विषयांतर्गत, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आपके आवेदन क्र. निरंक, दिनांक निरंक में इस कार्यालय के आदेश क्र. 3937 दिनांक 31.10.2016 द्वारा सहायक यंत्रियों को कार्यपालन यंत्री का 9 वर्षीय नियम के तहत उच्चतर वेतनमान का लाभ प्रदान किया जाता है इस हेतु चयन समिति द्वारा अनुमोदित चयन सूची की छायाप्रति चाही है। इस संबंध में अवगत कराया जाता है कि सचिव, छ.ग.शासन, सामान्य प्रशासन विभाग का पत्र क्र. एफ-2-7/2006/1/6, रायपुर दिनांक 29.03.2006 में सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत संबंधित जानकारी को प्रदान किये जाने से छूट प्राप्त है। (छायाप्रति संलग्न)

यदि आप उपरोक्त जानकारी से संतुष्ट नहीं हैं तो उक्त जानकारी के विरुद्ध, प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष, निर्धारित आवेदन पंजीयन शुल्क रु. 50/- मात्र का भुगतान कर प्रथम अपील आवेदन निर्णय प्राप्त होने के 30 दिवस के भीतर प्रस्तुत कर सकते हैं। प्रथम अपीलीय अधिकारी का पता निम्नानुसार है:—

श्री पी.के.अग्रवाल  
अपीलीय अधिकारी सह उप महाप्रबंधक (मा.संसा.)—एक  
कार्यालय— मुख्य अभियंता (मा.संसा.)  
छ.रा.वि.उ.कं.मर्या., रायपुर।  
दूरभाष—0771-2574883

संलग्न: उपरोक्तानुसार।

R.Jh  
21/04/17  
(राजीव झा)

जनसूचना अधिकारी, सह प्रबंधक (मा.सं.)  
कार्या.— मुख्य अभियंता (मा.संसा.),  
छ.रा.वि.उ.कं.मर्या., रायपुर  
दूरभाष क्रमांक 0771-2574081

07/04/17  
21/4/17

O/o CE (HR)  
C.S.P.G.C.L., RAIPUR  
Rect. No. 2448  
Date. 22.3.17

प्रति,

जन सूचना अधिकारी  
कार्यालय मुख्य अभियंता (मा०संसा०)  
छ०रा०वि०उत्पा०क०मर्या०, रायपुर

विषय:- सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत जानकारी/दस्तावेज प्रदान करने  
विषयक।

महोदय,

मुख्य अभियंता (मा०संसा०) छ०रा०वि०उ०क०मर्या०, रायपुर का आदेश क्रमांक  
03-11/DGM-1/HPS/3937 दिनांक 21.10.2016 के माध्यम से 11 सहायक यंत्रियों  
को कार्यपालन यंत्री का 9वर्षीय नियम के तहत उच्चतर वेतनमान का लाभ प्रदान किया  
गया है। उक्त सहायक यंत्रियों को उच्चतर वेतनमान प्रदान करने हेतु चयन समिति  
द्वारा अनुमोदित चयन सूची की छायाप्रति सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत  
प्रदान करने का कष्ट करें।

अधिनियम के नियमानुसार शुल्क राशि 10/- (मात्र दस रू०) आवेदन के साथ  
जमा कर रहा हूँ। अनुमोदित चयन सूची की छायाप्रति हेतु वांछित व्यय की राशि  
भुगतान हेतु मैं तैयार हूँ।

संलग्न - MRM. 0000003036  
22/03/2017  
A.M.(CAV)

13.22/03/17

भवदीय

*(Signature)*

हेमेश कुमार शर्मा  
सहायक प्रवक्ता  
(क० उ० उ०)  
छ० रा० वि० उ० क० मर्या  
रायपुर

DGM-I  
M-II  
M-III  
M-IV

*(Signature)*  
22/3

A.S. (CAV)  
23/03/17